प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत   दिनाँक 15.03.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान पशु क्रूरता अधिनियम में 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से कुल 29 पशु व तस्करी में प्रयुक्त 01 गाड़ी कैन्टर नं0 RJ-49GA-6480 बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से कुल 29 पशु व तस्करी में प्रयुक्त 01 गाड़ी कैन्टर नं0 RJ-49GA-6480 बरामद हुई है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 171/26 धारा 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-कुलदीप पुत्र हरनाम सिंह निवासी ग्राम बहब्लपुर जिला फतेहाबाद हरियाणा।

2-रियासत पुत्र मकसूद अली निवासी नौहर थाना नौहर जिला हनुमानगढ राजस्थान।

बरामदगी का विवरण-

- कुल 29 पशु व तस्करी में प्रयुक्त 01 गाड़ी कैन्टर नं0 RJ-49GA-6480

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री उत्कर्ष गुप्ता थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-है0का0 492 विकेश थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3-का0 129 दुष्यन्त थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

4-का0 चालक 1120 धीरज थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

BAGHPAT POLICE

थाना बिनौली साइबर टीम , जनपद बागपत

मार्च- 2026

थाना बिनौली साइबर टीम, जनपद बागपत के द्वारा माह मार्च 2026 में आवेदक/पीडित से ऑनलाइन धोखाधडी की धनराशि कुल 5110/- रूपये वापस कराये गये–

आवेदक/पीड़ित श्री वेदान्त शर्मा पुत्र ब्रह्मदत्त शर्मा निवासी ग्राम फजलपुर थाना बिनौली जनपद बागपत के बैंक खाते से किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन 5,110 रुपये की धोखाधड़ी कर ली गयी थी । इस सम्बन्ध में आवेदक द्वारा एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज करायी गयी, जिसका **ACK. No.-33110250145537** है ।

शिकायत प्राप्त होने पर थाना बिनौली साइबर टीम द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए त्वरित वैधानिक कार्यवाही की गयी। कार्यवाही के परिणामस्वरूप पीड़ित के बैंक खाते से ऑनलाइन धोखाधड़ी की सम्पूर्ण धनराशि 5,110 रुपये वापस करायी गयी।

राशि वापस मिलने पर आवेदक/पीड़ित द्वारा थाना बिनौली पुलिस की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया गया ।

क्र0सं0	नाम थाना	प्रा0पत्र सं0	वापस करायी गयी धनराशि
1	बिनौली	33110250145537	5,110 रुपये

आवेदक/पीडित को रुपये वापस कराने वाली टीमः-

1-प्र0नि0 श्री राकेश कुमार शर्मा थाना बिनौली।
2-उ0नि0 श्री सत्यवीर सिंह परमार थाना बिनौली।
3-है0का0 801 सावन कुमार थाना बिनौली।
4-है0का0 481 गुरदीप सिंह थाना बिनौली।

प्रेस नोट

थाना छपरौली **दिनाँक 15.03.2025**

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 56/2026 धारा 316(2)/338/336(3)/ 340(2)/318(4) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 14.03.2026 को थाना छपरौली पर वादी देशराज पुत्र नन्हा निवासी ग्राम इटावा थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. सोनू पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम कासिमपुर खेडी थाना रमाला जनपद बागपत, 2. आशीष पुत्र देशवीर निवासी ग्राम नांगल थाना छपरौली जनपद बागपत के द्वारा उससे नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधडी कर रुपयों की ठगी की गयी व जाली दस्तावेज (नियुक्ति पत्र) तैयार कर असली के रूप में उसको दिया। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली

पर मु0अ0सं0 56/2026 धारा 316(2)/338/336(3)/340(2)/318(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 56/2026 धारा 316(2)/338/336(3)/340(2)/318(4) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

आशीष पुत्र देशवीर निवासी ग्राम नांगल थाना छपरौली जनपद बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री बृक्षपाल सिंह थाना छपरौली।
2-है0का0213 मोहित सैनी थाना छपरौली।
3-है0का0 110 सुबोध कुमार थाना छपरौली।

उत्तर प्रदेश पुलिस

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट दिनाँक 15.03.2026

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 64/2026 धारा 103(1)/109(1)/61(2) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट में वाँछित 01 अभियुक्ता सहित 01 अन्य अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.03.26 को थाना दोघट पर वादिया ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.प्रिंस पुत्र देवेन्द्र 2.रजत पुत्र जितेन्द्र निवासी ग्राम बहावडी थाना शामली जनपद शामली द्वारा अभियुक्तों 3.लोकेन्द्र पुत्र नामालूम व 4. 01 महिला निवासीगण ग्राम बहावडी थाना शामली जनपद शामली के कहने पर वादिया के पति विक्की उर्फ विवेक की गोली मारकर हत्या कर दी व वादिया व अन्य परिजनों के ऊपर गोली चलाते हुए वहाँ से भाग गए। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 64/2026 धारा 103(1)/109(1)/61(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 64/2026 धारा 103(1)/109(1)/61(2) बीएनएस में वाँछित 01 अभियुक्ता सहित 01 अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-लोकेन्द्र पाल पुत्र दरियाव सिंह निवासी ग्राम बहावडी थाना शामली जनपद शामली हाल निवासी दयालपुर थाना दयालपुर दिल्ली।

2-01 महिला।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-थानाध्यक्ष श्री केवल सिंह थाना दोघट जनपद बागपत।

2-उ0नि0 श्री दिव्य कुमार थाना दोघट जनपद बागपत।

3-म0उ0नि0 शिवानी थाना दोघट बागपत।

4-है0का0 607 सुरेन्द्र सिंह थाना दोघट बागपत।

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 15.03.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता-

अक्षय पहलवान पुत्र भरत निवासी ग्राम नौरोजपुर गुर्जर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1-उ0नि0 श्री धीरज कुमार थाना कोतवाली बागपत।

2-है0का0 551 छत्रपाल थाना कोतवाली बागपत।